


न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस
अपील संख्या 16/2024 एल आर एक्ट (GCMS No 2024/ 20)
अनवान बलदेव कौर वगैरह बनाम श्रीमति लक्ष्मी देवी, वगैरह
अपील विरुद्ध निर्णय- उपखण्ड अधिकारी अनुपगढ प्रकरण 07/2009 दिनांक 24.04.2012

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलान्ट्स बलदेव कौर स्वय अनुपस्थित। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली वर्ष 2012 से विचाराधीन चल रही है। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट एवं उसके अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के निमित नोटिस जारी किये गये, नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं अपीलान्ट्स बलदेव कौर को को रूक- रूक कर आवाज लगवाई गई बावजूद आवाज के वे न तो स्वय उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई वेधानिक प्रतिनिधी उपस्थित आये। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्ट्स की एवं स्वय अपीलान्ट्स की अकारण बिना किसी आधार के अनुपस्थिती उनके न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्ध करती है व स्वेच्छा अनुपस्थिती मामला चलाने मे अरुचि जाहिर करती है। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर</p>	